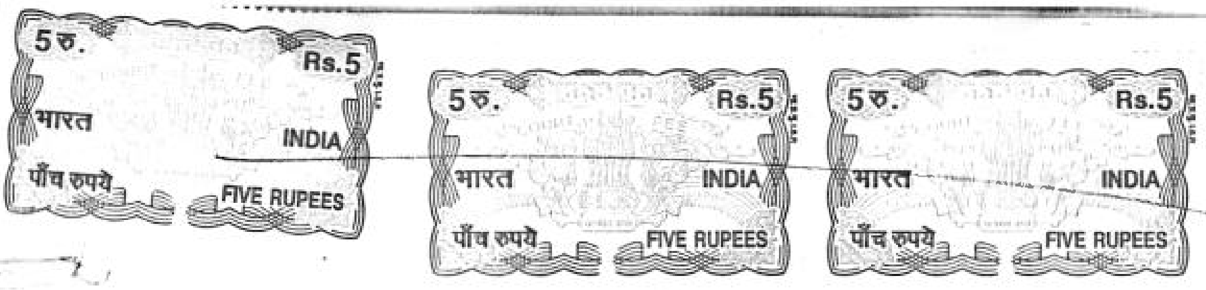

न्यायालय-माननीय राजस्व मण्डल म०प्र०, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१४-१५/पीवीआर निगरानी 1035-PBR/15

दिनांक 11-5-15 को
श्री एस० के० गुप्ता एडवोकेट
द्वारा प्रस्तुत।
11-5-15
SO

(S.K. Gupta Adv)
11/05/15

१) ठाकुरदास कुशवाह
२) मुनीम उर्फ बालासाहब कुशवाह
३) श्रीकृष्णा कुशवाह
४) राजकुमार कुशवाह ।
समस्त पुत्रगण स्वर्गीय बाबूलाल कुशवाह,
समस्त, निवासीगण उरवाई गेट, आऊखाना कलाँ,
ग्वालियर (म०प्र०) —आवेदकगण/अपीलान्ट्स

बनाम

१) म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर
२) ओमप्रकाश कुशवाह पुत्र स्व० रामरतन कुशवाह
निवासी उरवाई गेट, आऊखाना कलाँ, ग्वालियर
(म०प्र०) —अनावेदकगण/प्रत्यर्थीगण

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा ५० म०प्र०भू०रा०सं०, विरुद्ध आदेश दिनांक १२/२/२०१५ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक ४३/१३-१४/अपील ठाकुरदास आदि बनाम म०प्र० शासन आदि में पारित किया गया ।

- -

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की निगरानी अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1035–पीबीआर / 2015 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–05–15	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0गुप्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के प्रकरण कमांक 43 / 13–14 / अपील में पारित आदेश दिनांक 12–3–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3– अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुये राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रतिपरीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है, जो उचित है तथा जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः निगरानी में पर्याप्त आधार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	